न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 64 सन् 2019

नागेश्वर सिंह ––––––––वादी

बनाम

अभय सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–24.08.2021

वादी की ओर से हाजिरी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक–09.04.2021 अंदर आदेश 22 वो भी दफा 151 सी0पी0सी0 सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादी ने अपने आवेदन में सार रूप में कहा है कि उपरोक्त वाद के मुदालह सं0–4 हरेश्वर सिंह की मृत्यु बतारिख 26.07.2020 को हो गयी है जिसके वारिसान के प्रतिस्थापन का आवेदन बतारिख 07.11.2020 को न्यायालय मे दाखिल हुआ। न्यायालय के स्वीकृति के बाद आवेदन मे वर्णित वारिसान का नाम अर्जीदावी मे मुन्दर्ज किया गया। भूलवश मुदालह सं0–4 की लड़की मु0 इन्दु देवी का नाम मुन्दर्ज होना छूट गया है। मुदालह सं0–'4 हरेश्वर सिंह की पुत्री इन्दु देवी का नाम अर्जीदावी मे दर्ज होना न्यायहीत मे जरूरी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि हरेश्वर सिंह मुदालह सं0–4 की लड़की मु0 इन्दु देवी का नाम दर्ज करने का अनुमति दिया जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेंख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी का प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। मुदालह सं0–'4 का प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–07.11.2020 को स्वीकृत हो चुका है। अतः वादी का आवेदन दिनांक–09.04.2021 को

न्यायहीत में मो0 200/–रू0 खर्चे के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादो को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश से चौदह दिन के अंदर सिंरिस्तेदार के समक्ष अपने आवेदन के आलोक मे संसोधन कर लें। वाद दिनांक–22.09.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।